रुचि की अभिव्यक्ति

रेल प्रशासन द्वारा "नए एवं अभिनव विचार एवं परिकल्पना योजना" के तहत कार्य करने हेतु रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है . इक्छुक व्यक्ति/संस्था/पंजीकृत फर्म आदि ऐसे कार्यों को करने हेतु अपने विचार एवं परिकल्पना रेल प्रशासन को प्रस्तुत कर सकते हैं जो कि रेल प्रशासन एवं प्रस्तावक के लिए परस्पर लाभदायी हों 1. मंडल के माल गोदामों के समीप रिक्त स्थान पर चाय- नास्ते के स्टाल लगाना 2. वर्तमान खर्चों में कमी लाकर बचत को बढ़ाया जा सके 3. यात्री सुविधा एवं संतुष्टि में कारगर साबित हो जैसे कि ट्रेनों में मनोरंजन और जिंगल के माध्यम से विज्ञापन, FM सेवा ट्रेन में मोबाईल चार्गिंग यूनिट लगाना एवं उसके पैनल पर विज्ञापन करना 4. स्टेशन परिसर/परिभ्रमण/रेल ट्रैक के समीप में उपलब्ध स्थान एवं अन्य उपलब्ध स्थान का व्यावसायिक अथवा यात्री सुविधा हेतु उपयोग 5. खाली रेल भूमि पर उद्यान या नर्सरी विकसित करना 6. खाली रेल भूमि पर ओपन लान 8. वातानुकूलित कोचों में बेड रोल हेतु दिए जाने वाले कवर की आपूर्ति तथा उसके उपर विज्ञापन, आरक्षण मांग पत्रों की आपूर्ति तथा उसके उपर विज्ञापन आदि |

प्रस्ताव निम्न शर्तों के अधीन विचारणीय होगा -

1. प्रस्ताव के साथ रू. 1000/- का डिमांड ड्राफ्ट आवेदन शुल्क (नॉन रिफंडेबल) के रूप में जमा करना होगा .
2. प्रस्तावक को यह स्पष्ट करना होगा कि वह सिर्फ विचार प्रस्तुत करना चाहता है या उसे कार्यान्वित भी करेगा .
3. प्रस्तावित कार्य की अवधि एक वर्ष होगी तत्पश्चात उस समय लागू नियमों के अनुसार वृद्धि भी की जा सकती है.
4. प्रस्ताव के स्वीकार/अस्वीकार/परिवर्तन पर पूर्ण रूप से रेल प्रशासन का निर्णय अंतिम एवं प्रस्तावक पर बाध्यकारी होगा . प्रस्ताव की स्वीकृत होने पर समय-समय पर रेल प्रशासन द्वारा जारी नियम व शर्तें लागू होंगी.

उपर्युक्त आधार पर इक्छुक व्यक्ति/संस्था/पंजीकृत फर्म आदि अपने विचार एवं परिकल्पना रेल प्रशासन के समक्ष विस्तृत प्रस्ताव के रूप में कभी भी प्रस्तुत कर सकते हैं. इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी हेतु मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के वाणिज्य शाखा कार्यालयीन दिवस व समय में व्यकिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं. या प्रस्ताव से सम्बन्धित विभाग से प्राप्त कर सकते हैं |

देवेश सोनी
(मंडल वाणिज्य प्रबन्धक)
जबलपुर

Scanned by CamScanner